रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार व्दारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ मंगलवार 23 नवम्बर, 2004

अग्रहायण 2, 1926 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

सं0 क0नि0-5-5595/11-2004-500(84)-2003

लखनऊ 23 नवम्बर 2004

अधिसूचना

आदेश

प0आ0 560

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम सं0 2 सन् 1899)की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 सन् 1974 व्दारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम सं0 11 सन् 1973) के अधीनगठित विकास प्राधिकरणों व्दारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1 सन् 1966ऋ के अधीन गड़ित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद व्दारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 6 सन्न 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण व्दारा या कम्पनी अधिनियम 1916 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य अद्योगिक विकास निगम या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2 सन् 1916) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2सन् 1959) के अधीन गड़ित स्थानीय निकायों व्दारा सन् 1962 के युध्द और उसके बाद हुए

किसी युध्द या आतंकीवादियो से हुए किसी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों आश्रितों के पक्ष में निष्पादित विक्रय लिखत और पट्टा धृत अधिकारों को फ्रीहोल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से सम्बन्धित लखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते है ।

स्पष्टीकरणः- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ

(1) आश्रितों का तात्पर्य

क- पत्नी या पति (जैसी स्थिति हो)

ख- पुत्र

ग- अविवाहित पुत्री या वधिवा पुत्री

घ- माता या पिता से है ।

परन्तु यदि प्रथम वर्ग का आश्रित उपलब्ध हो तो अन्य वर्ग के आश्रितों के आवेदन पर ऊपर उल्लिखित लखितों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने के विषय में विचारनही किया जायेगा

परन्तु यह और कि उपयुक्त सुविधा किसी शहीद के आश्रितों को केवल एक बार उपलब्ध करायी जायेगी ।

2-भारतीय सेना मुख्यालय नई दिल्ली व्दारा जारी प्रमाण पत्र से आश्रित के दावे की पुष्टि की जायेगी ।

आज्ञा से

शेखर अग्रवाल

प्रमुख सचिव ।

The governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.K. N. 5-5595/11-2004-500(84)-2003. dated November 23, 2004 for general information:

no.K.N. 5-5595/11-2004-500(84)-2003.

dated Lucknow November 23, 2004

In exercise of the powers under clause (a) o sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh the Governor pleased to remit the stamp uty chargeable on instruments of sale lease and on instrument of conversation of leasehold right in to freehold rights executed by the Development authorities constituted under the Uttar Prdesh Urban Planning and Development Act 1973 (President,s Act no 11 of 1973) as amended and re enacted by U.P. Act no 30 of 1974 or by the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad constituted Under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam 1965 (U.P Act no 1 of 1966) or by an Industrial Development Authority Constituted Under the Uttar Pradesh Insutrial Area Development Act 1976 (U.P Act no. 6 of 1976) or by the Uttar Pradesh state Industrial Development Corporation Registerd under the Companies Act 1956 (Act no. 1 of 1956) or by local Bodies Constituted under the Uttar Pradesh municipalities Act 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) or under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 (U.P. Act no 2 of 1916) or under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 (U.P Act no. 1959) in favour of dependents of such Officers or Jawanas of the Indian Army who martyred their lives in the war of 1962 and any onward war or in encounter encounter with terrorists.

Explanation:- For the purposes of this notification,

1- Dependents means,

  a- Eifr or husband (as the case may be);

  b- Son,

  c- Unmarried daughter or windowed daughter,

  d- Mother or father,

  Provided that if the dependent of the first class is available then the application of other class of dependents shall not be considered for exemption of stamp duty chargeable on the above mentioned instruments:

  Provided futher that the above facility shall be made available to the dependentsa of a martyr once only.

(2) A certificate issued by the Indian Army Headquarters. New Delhi Shall confirm the claim of the dependents.

By order

Shekhar Agrawal

Pramukh Sachiv